# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 74/2019**

**उनवान**

शबनम वगैराह

**अप्रार्थी/वादी**

**बनाम**

नूरमोहम्मद वगैराह

**प्रार्थी/प्रतिवादी**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 183 आर टी एक्ट**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा0दी0**

उपस्थितिः—

**अप्रार्थी/वादी** :— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर ।

**प्रार्थी/प्रतिवादी** :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

## निर्णय

दिनांक 07/03/2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा0 दी0 का इस आश्य का पेश किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में माननीय न्यायालय जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। वादीया/अप्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय मे पेश किये गये वाद पत्र मे आराजी खाता संख्या 308 की ख0 न0 565 का रकबा 0.20 हे0 ख0 न0 566 का रकबा 0.96 है0 ख0न0 585/2443 का रकबा 1.23 है0 ख0 न0 885 का रकबा 3.59 है0 कुल किता 4 का रकबा 5.98 है0 आराजी प्रार्थी कम 1 नूरमोहम्मद के खाते दर्ज है। उक्त आराजी नूरमोहम्मद की स्वः अर्जित सम्पति हैं जिसमे वादीया शबनम व वादीगण का कोई कानूनी अधिकर नही बनता है। यह कि मुस्लिम विधि के अनुसार खातेदार ही सम्पूर्ण आराजी (सम्पति) का एक मात्र मालिक होता है। चाहे वह सम्पति उसने अपने जीवन काल मे प्राप्त की हो या फिर पूर्वजो से प्राप्त की हो दोनो ही स्थिति मे खातेदार की सम्पूर्ण अचल व चल सम्पति (आराजी) का एक मात्र मालिक होता है। व उसके जीवनकाल मे कोई भी वारिसान उसकी सम्पति (आराजी) मे हिस्सा नही मांग सकता मुस्लिम विधि मे उत्तराधिकारी का नियम लागू नही होता है। इसलिए प्रार्थीकम 1 नूरमोहम्मद की सम्पति (आराजी) मे उसके जीवनकाल तक अप्रार्थीगण/ वादीयागण किसी भी प्रकार के बटवारे की मांग नही कर सकती है। अतः

माननीय न्यायालय मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते है कि अप्रार्थीगण /वादीगण का वाद मुस्लिम विधि के अनुसार चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

2. यह है कि वादीगण द्वारा इकरार नामे के आधार पर वाद पेश किया गया है जो माननीय न्यायालय मे चलने योग्य है। यह है कि अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थीगण/ वादीगण का वाद स्वीकार फरमाने की कृपा करें।

3. अभिभाषक प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण एवं अभिभाषक अप्रार्थी/वादी की बहस सुनी एवं मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थी/प्रतिवादी कम 1 व 2 की पैतृक सम्पत्ति मे उनके जीवनकाल मे ही अपना हक व अधिकार प्राप्त करने के लिए वाद दायर किया है जबकि मुस्लिम उत्तराधिकार विधि मे एक मुस्लिम की सभी स्त्रोतो से प्राप्त सम्पति उसकी व्यक्तिगत सम्पति मानी गई है, पैतृक व स्वअर्जित सम्पत्ति मे कोई भेद नही माना है। आगे कथन किया कि मुस्लिम विधि में पिता की सम्पत्ति मे बच्चों का जन्म से कोई अधिकार नही माना गया है। एक मुस्लिम के जीवनकाल मे उसकी सम्पति मे उसके बंशज या नातेदार का कोई हक नही है। अपने तर्को के समर्थन मे अभिभाषक प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा मुस्लिम विधि के अध्याय – '' उत्तराधिकार व प्रशासन विधि'' पेश की गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने बहस में कथन किया कि वाद न तो किसी विधि से वर्जित है, न ही अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा हुआ है और न ही अनुतोष का कम मूल्यांकन किया गया है। अप्रार्थीगण/ वादीगण सिर्फ पैतृक सम्पत्ति मे अपने हक के आधार पर ही वाद नहा लाया है बल्कि वर्ष 2000 मे अप्रार्थी/ वादी एवं प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के मध्य हुऐ इकरारनामा के आधार पर कृषि आराजी मे अपना हक मांग रही है। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने तर्क किया कि वे अपने वादपत्र के तथ्यो को तनकियात के बाद साक्ष्य व गवाह बयानो के आधार पर सिद्ध करेंगे। अतः हमे अपने तथ्यो को साबित करने का अवसर मिलना चाहिए।

6. सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के दायरे और इसके अन्तर्गत न्यायालय की अधिकारिता को समझने के लिऐ उक्त आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन करना उचित है जो निम्न प्रकार है–

11- Rejection of plaint:- The plaint shall be rejected in the following cases :- (a) where it does not disclose a cause of action,

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so,

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court, fails to do so,

(d) where the suit appears from the statements in the plaint to be barred by any law,

(e) where it is filed in duplicate,

(f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9.

7. उपरोक्तानुसार आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों का सारांश है कि न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया जावेगा। यदि 'क' वाद हेतु की प्रकट नहीं किया गया हो, 'ख' अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो, 'ग' वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया हो, 'घ' वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो एवं 'ड' डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं किया हो। अतः इस प्रयोजन हेतु उक्त आदेश 7 नियम 11 के उपनियम 'क' व 'घ' शब्दावली पर ध्यान देना आवश्यक है। उपनियम 'घ' की शब्दावली– '' Where the suit appears from the statements in the plaint to be barred by any law'' का आशय यह है कि आदेश 7 नियम 11 'घ' के अन्तर्गत वाद खारिज करते समय यह देखना आज्ञापरक है कि दावा/वादपत्र किसी विधि द्वारा वर्जित तो नहीं है। अप्रार्थीगण/ वादीगण द्वारा वादपत्र के मद क्रम 4 मे विवादित कृषि आराजी को प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति बताकर उसमे स्वंय का हक व हिस्सो का अनुतोष चाहा है। सलंग्न जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी नूरा उर्फ नूर मोहम्मद पुत्र अमरा

के खाते है और नूरा उर्फ नूर मोहम्मद अभी जीवित है। प्रतिवादी कम 1 मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अनुसार एक मुस्लिम की सम्पूर्ण सम्पति को पैतृक व स्वअर्जित के रूप मे नही बल्कि व्यक्तिगत सम्पति माना गया है। एक मुस्लिम की सम्पति मे उसके जीवित रहते हुऐ उसके वंशज या वारिसान को जन्म से कोई अधिकार नही दिये गये है। इसी प्रकार मुस्लिम विधि मे प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को भी कोई मान्यता नही है अर्थात नूरा/नूर मोहम्मद की मृत्यू के समय जो वारिसान जीवित बचे होंगे, केवल उन्हे ही हक व अधिकार मिल सकेगा। इस प्रकार जाहिर है कि अप्रार्थीगण/ वादीगण का वाद का कम 4 (अनुतोष) मुस्लिम उत्तराधिकार विधि द्वारा वर्जित है।

अप्रार्थीगण/ वादीगण द्वारा वादपत्र के मद कम 5 मे वादी कम 1 एवं प्रतिवादी कम 2 की शादी के समय हुऐ इकरारनामे के आधार पर 10 बीघा ट्यूबवैल वाली कृषि आराजी पर अपना हक चाहा गया है। उक्त इकरारनामा न तो रजिस्टर्ड है और न ही नोटेराइज्ड है। अर्थात भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा–17 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा– 35–36 के अनुरूप नही है। इकरारनामे का यह दस्तावेज अभी तक एक्जीबित भी नहीं कराया गया है। यह इकरारनामा भारतीय कान्ट्रेक्ट अधिनियम– 1872 के प्रावधानों के अधीन सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही लागू कराया जा सकता है। एक मुस्लिम व्यक्ति के जीवित रहते हुऐ उसकी कृषि आराजी/सम्पति मे उक्त इकरारनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा हक व अधिकार नही दिया जा सकता है। अतः उक्त वादपत्र से एक ओर **आदेश 7 नियम 11** (क) - cause of action उत्पन्न नही हो रहा है, वही दूसरी ओर यह आदेश 7 नियम 11(घ) के अन्तर्गत - मुस्लिम उत्तराधिकार विधि द्वारा वर्जित भी है। **अतः उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 –उपनियम 'क' व 'घ' सी.पी.सी के अन्तर्गत वाद खारिज योग्य है।**

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

I- S.B. Civil revision petition No- 173 of 2015

II- S.B. Civil revision petition No- 135, 142-144, 146&148, 150-152 of 2018

III- RBJ 2018 page no- 78

IV- RBJ 2020 page no- 695

V- Citation 2018 (1) cj(civ.)(raj) page no- 646

VI- RBJ (27) 2020